निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 चैत्र 1937 (शo)

(सं0 पटना 447) पटना, वृहस्पतिवार, 9 अप्रील 2015

जल संसाधन विभाग

————————

अधिसूचना

25 फरवरी 2015

सं0 22/नि0सि0(पू0)–01–12/2006/526—मुख्य अभियंता, पूर्णियॉ परिक्षेत्राधीन महानंदा बाढ नियंत्रण अंचल, कटिहार के अन्तर्गत गंगा नदी पर निर्मित काटाकोश नवरसिया निसृत तटबंध पर वर्ष 2005 में एजेन्डा सं0–80/538 एवं 80/539 के तहत कराये गये कटाव निरोधक कार्यों एवं उसके बाद तटबंध पर हुए कटाव के फलस्वरूप बाढ संघर्षात्मक कार्य प्रारम्भ नहीं करने संबंधी आरोपों की जॉच उड़नदस्ता द्वारा कराई गई। उड़नदस्ता से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त श्री देवेन्द्र कुमार, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, महानंदा बाढ नियंत्रण अंचल, कटिहार के विरूद्ध निम्नांकित आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये गये :–

1. बाढ 2005 के पूर्व एजेन्डा सं0–80/538 के तहत कराये गये कटाव निरोधक कार्य एवं बाढ़ संघर्षात्मक कार्य विलम्ब से प्रारम्भ किया गया तथा कार्यों को बाढ़ से पूर्व पूरा नहीं किया गया, साथ ही इस महत्वपूर्ण कार्य को दिनांक 29.06.05 तक अधूरे स्थिति में ही समाप्त घोषित किया गया।

एजेन्डा सं0–80/539 के कार्यों को ससमय पूरा बताया गया, जो कि निर्धारित अवधि के बाद पूरा किया गया।

2. क्षेत्रीय सभी पदाधिकारियों द्वारा स्पष्टीकरण के माध्यम से सूचित किया गया है कि कार्य निर्धारित अवधि में समाप्त नहीं किये जाने के लिए मुख्य रूप से संवेदक ही दोषी हैं, फिर भी किस परिस्थिति में उपरोक्त दोनों एजेन्डा के शेष बचे हुए राशि को पुनः उन्हीं दोषी संवेदकों के बीच बॉटकर कार्य दिनांक 26.06.05 से प्रारम्भ किया गया एवं दिनांक 10.07.05 तक कार्य पूरा नहीं करने की बात बताई गयी है। संबंधित संवेदकों के विरूद्ध क्यों नहीं कोई समुचित कार्रवाई की गई यथा काली सूची में दर्ज करने हेतु प्रस्ताव क्यों नहीं विभाग को भेजा गया?

3. कार्यस्थल के प्रभारी सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता द्वारा दिनांक 15.07.05 को स्थल कटाव से संबंधित प्रतिवेदन तथा दिनांक 18.07.05 एवं 19.07.05 को दूरभाष पर कटाव के लिए उच्चाधिकारी को सूचना दिये जाने के बावजूद भी आपके द्वारा न तो स्थल का दौरा किया गया और न ही किसी प्रकार का निदेश दिया गया। पुनः दिनांक 20.07.05 से उसी भाग में बाढ संघर्षात्मक कार्य प्रारम्भ किया गया एवं दिनांक 5.9.05 तक बाढ़ संधर्षात्मक कार्य कराये गये जिससे सरकारी राशि की क्षति हुई और तटबंध सुरक्षित भी नहीं रह सका।

4. बाढ कटाव निरोधक कार्य एवं बाढ संघर्षात्मक कार्य के लिए उच्चाधिकारी (यथा मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता) द्वारा समय–समय पर कार्य स्थल पर जाकर क्षेत्रीय पदाधिकारियों एवं संवेदक को दिशा निदेश दिया जाना अति आवश्यक हो जाता है। परन्तु उपर्युक्त एजेन्डा के कार्यों में आपके द्वारा पर्यवेक्षण में कमी दृष्टिकगोचर हो रहा है

जबकि विभाग के स्तर से कटाव निरोधक कार्य के प्रबंधन के लिए गठित विशेष जॉच दल द्वारा स्थल निरीक्षण के क्रम में कार्य की प्रगति में तेजी लाने का निदेश देने के बावजूद कार्य में तेजी नहीं लाई गई।

5. स्थल पर कार्य प्रारम्भ होने के बावजूद भी कई दिनों तक स्थल को कटते हुए क्यों छोड़ दिया तथा बाढ़ संघर्षात्मक कार्य ससमय क्यों नहीं प्रारम्भ किया गया?

उपर्युक्त आरोपों के लिए सरकार द्वारा श्री देवेन्द्र कुमार, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, महानंदा बाढ़ नियंत्रण अंचल, कटिहार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया। तदनुसार श्री देवेन्द्र कुमार, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 159 दिनांक 15.02.08 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई। विभागीय कार्यवाही में जॉच पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त निम्न तथ्य पाया गया :–

उपरोक्त दो कार्यों में से एक कार्य एजेन्डा सं0 80/539 ससमय पूरा कर लिया गया जबकि एजेन्डा सं0 80/538 के संबंध में उड़नदस्ता के जॉच से यह स्पष्ट होता है कि कार्य को ससमय शुरू नहीं करने और कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं रहने के कारण नदी के बढते जलस्तर से कटाव निरोधक कार्य क्षतिग्रस्त हुआ। उक्त कार्य की निविदा का निष्पादन 15.03.05 को हुआ, कार्य आवंटन 31.03.05 को हुआ तथा कार्य समाप्ति की तिथि 31.05.05 थी। उक्त कार्य की एकरारित राशि 121.47 लाख रू0 थी। उक्त कार्य का Alignment 16.03.05 को किया गया, जिसकी स्वीकृति मुख्य अभियंता ने दिनांक 4.4.05 को दी थी। इस प्रकार तत्कालीन मुख्य अभियन्ता द्वारा Alignment की स्वीकृति में लगभग 18 दिनों का समय लिया गया। विशेषज्ञ दल ने स्थल निरीक्षण में 29.05.05 तक कार्य की प्रगति मात्र 40 प्रतिशत प्रतिवेदित की है। विशेषज्ञ जॉच दल ने यह भी अंकित किया है कि KKNR तटबंध के चेन सं0 327 पर अवस्थित स्थल के डाउन स्ट्रीम सैन्क से तटबंध के चेन सं0 336.5 तक रिभेटमेन्ट द्वारा जोड़ने का कोई प्रयास क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा है और इससे तटबंध टूट सकता है, फिर भी संवेदक एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा कार्य में अपेक्षित तेजी नहीं लाई गई जिसके कारण तटबंध का स्लोप भाग नैकेड रह गया और तटबंध क्षतिग्रस्त हो गया। जलश्राव बढ़ने के बाद भी 15.07.05 के बाद 21.07.05 तक कोई बाढ़ संघर्षात्मक कार्य करने का प्रमाण अभिलेख से मिलता है और तत्कालीन मुख्य अभियंता द्वारा स्थल निरीक्षण भी 23.07.05 को मिलता है।

उपर्युक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि तत्कालीन मुख्य अभियंता द्वारा Alignment की स्वीकृति में किये गये ससमय स्थल निरीक्षण नहीं करने के कारण लापरवाही एवं उत्तरदायित्व का उचित निर्वहन नहीं किया गया। इसी प्रकार अधीक्षण अभियंता द्वारा भी कार्य में तेजी लाने अथवा बाढ़ संघर्षात्मक कार्य ससमय प्रारम्भ करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का उल्लेख नहीं मिलता है।

अतः श्री देवेन्द्र कुमार, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता द्वारा कार्य में प्रगति लाने के लिए अपेक्षित कार्रवाई नहीं करने तथा कटाव को रोकने हेतु ससमय बाढ़ संघर्षात्मक कार्य प्रारम्भ नहीं कराने के लिए दोषी पाते हुए निम्न दण्ड संसूचित करने का निर्णय विभाग द्वारा लिया गया है:–

(i) निन्दन वर्ष 2005–06

(ii) दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

उक्त विभागीय दण्ड श्री देवेन्द्र कुमार, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, महानंदा बाढ़ नियंत्रण अंचल, कटिहार को संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सतीश चन्द्र झा,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 447-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in